(iv) 30/21

Signature
ACC Name-SUNIL KUMAR
ACC Code-UP 14273704
ACC Address-Meja, Mob. 993513359
Licence No.-917, Tehsil-Meja, Prayagr

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP58429661326083T
Certificate Issued Date	:	08-Sep-2021 01:54 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14273704/ MEJA/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14273704056314365560917
Purchased by	:	ADITYA PRAKASH AND OTHERS
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	MANDA KHAS MEJA PRAYAGRAJ
Consideration Price (Rs.)	:	1,50,000 (One Lakh Fifty Thousand only)
First Party	:	ADITYA PRAKASH AND OTHERS
Second Party	:	ADITYA PRAKASH AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	:	ADITYA PRAKASH AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	7,500 (Seven Thousand Five Hundred only)

Please write or type below this line

"राष्ट्र निर्माण एजुकेशनल ट्रस्ट"

न्यास–विलेख (ट्रस्ट डीड)

हम आदित्य प्रकाश पुत्र श्री जे0एन0 शुक्ल निवासी– 177 खरगपुर, महजना, हण्डिया, प्रयागराज उ0प्र0 आधार संख्या–9449 2653 4635 जिसको इस प्रलेख में संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं ज्योति पाण्डेय पत्नी श्री रवि शंकर पाण्डेय निवासिनी– माण्डा खास, प्रयागराज उ0प्र0 आधार नं0 4219 8652 0879 जिसको इस प्रलेख में

0000974915

Aditya Prakash Jyoti Pratima

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

संस्थापक ट्रस्टी तथा प्रतिमा तिवारी पत्नी श्री मनोज कुमार तिवारी निवासिनी– करियाडीह, पड़रा, हनुमान नकारा, मिर्जापुर आधार नं0 7773 6325 9190 जिसको इस प्रलेख में संस्थापक ट्रस्टी कहा गया है, के रूप में एक शैक्षिक न्यास (Educational Trust) कायम कर रहे हैं। जिसका नाम **"राष्ट्र निर्माण एजूकेशनल ट्रस्ट"** होगा। जिसका **पंजीकृत कार्यालय– ग्राम व पोस्ट माण्डा खास, मेजा, प्रयागराज उ0प्र0 पिन–212104** एवं कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश सहित **सम्पूर्ण भारत वर्ष/विदेशों में होगा।** आवश्यकता पड़ने पर आजीवन ट्रस्टी मण्डल की सहमति से देश के विभिन्न स्थानों पर शाखा कार्यालय संचालित किया जा सकता है। यह ट्रस्ट बिना किसी लाभहानि के अलाभकारी ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा। विदित हो कि हमने यह ट्रस्ट (न्यास) प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु गठित किया है। इस न्यास के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यगिक विद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, अध्यापक शिक्षण एवं प्रशिक्षण कालेज, आई०टी०आई०, पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, विश्वविद्यालय, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, चिकित्सा सेवा, फार्मेसी कालेज, कोचिंग, पैरामेडिकल नर्सिंग कालेज, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च व्यवसायिक शिक्षा, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं, आवासीय विद्यालय आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प लिया गया है। यह एक शैक्षिक न्यास है जो बिना किसी भेदभाव के सभी जाति समुदाय और धर्म के लोगों के हित में कार्य करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये उन्हें शिक्षित/प्रशिक्षित करने सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करने के लिये गठित किया गया है। न्यास के गठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है:–

1. उक्त न्यास का गठन रू0 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार) नकद से आरम्भ किया जा रहा है।

2. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व पोस्ट माण्डा खास, मेजा, प्रयागराज उ0प्र0 पिन–212104 रहेगा, अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी अन्य दो संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

3. उक्त न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम परिपूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शाखाएं देश एवं प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जायेगी और उन कार्यालयों के पते पर उपरोक्त न्यास द्वारा

Aditya Prakash Jyoti Pratima

आवेदन सं०: 202100894004532

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 30 वर्ष: 2021

प्रतिफल- 150000 स्टाम्प शुल्क- 7500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 1640

श्री आदित्य प्रकाश .
पुत्र श्री जे०एन० शुक्ल
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: सा० 177 खरगपुर महजना हण्डिया प्रयागराज

Aditya Prakash

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 08/09/2021 एवं 03:06:06 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल कुमार श्रीवास्तव (प्र0)
उप निबंधक :मेजा
प्रयागराज
08/09/2021

ज्ञान चन्द्र दिवेदी
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

उप रजिस्ट्रार, मेजा, प्रयागराज
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

4. वर्तमान में इस ट्रस्ट डीड के पंजीकृत होने के दिनांक से **आदित्य प्रकाश** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of Deed) भी है, को इस ट्रस्ट का संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं **श्रीमती ज्योति पाण्डेय** तथा **श्रीमती प्रतिमा तिवारी** को संस्थापक ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

अतः आज दिनाक 08.09.2021 को हम आदित्य प्रकाश संथापक/मुख्य ट्रस्टी के रूप में रू0 50,000/– एवं ज्योति पाण्डेय संस्थापक ट्रस्टी के रूप में रू0 50,000/– तथा प्रतिमा तिवारी संस्थापक ट्रस्टी के रूप में रू0 50,000/– प्रदान कर प्रदान कर **"राष्ट्र निर्माण एजूकेशनल ट्रस्ट"** नामक ट्रस्ट/न्यास सृजित करते हैं, तथा वर्तमान में इस ट्रस्ट के पास कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है। उपरोक्त राशि ट्रस्ट कोष के रूप में उसकी स्थायी सम्पत्ति होगी, जो ट्रस्ट के बैंक खाते में स्थायी रूप से जमा रहेगी। ट्रस्ट का एक आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी मण्डल होगा जो संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी एवं दोनों संस्थापक ट्रस्टी को मिलाकर बनेगा। जिसे ट्रस्ट की ओर से चल–अचल सम्पत्तियों के क्रय–विक्रय करने, किराये पर देने व लेने, लीज पर देने लेने तथा अनुदान लेने व देने के अभिलेखों पर निर्णय एवं हरताक्षर करने एवं राष्ट्रीयकत बैंक/वित्तीय संस्था से लोन लेने का विधिक/न्यायिक अधिकार होगा। इसको अन्य ट्रस्टियों को नियुक्त करने, ट्रस्टी मण्डल का गठन करने, ट्रस्टियों को हटाने तथा ट्रस्टी मण्डल को भंग करने की संस्तुति करने तथा पुनः गठन करने एवं किसी भी संस्था/समिति या ट्रस्ट को **"राष्ट्र निर्माण एजूकेशनल ट्रस्ट"** में विलय करने का अधिकार होगा।

5. हम संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी आदित्य प्रकाश, संस्थापक ट्रस्टी ज्योति पाण्डेय एवं प्रतिमा तिवारी अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को अपने पद पर नामित कर सकते हैं। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा जिस किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नामित करेगा वह ट्रस्ट का संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी या संस्थापक ट्रस्टी होगा और उसे इस ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी या संस्थापक ट्रस्टी के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

Aditya Prakash Jyoti Pratima.

आवेदन सं०: 202100894004532

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 30 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री आदित्य प्रकाश, पुत्र श्री जे०एन० शुक्ल

निवासी: सा० 177 खगपुर महजना हण्डिया प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार Aditya Prakash

न्यासी: 2

श्रीमती ज्योति पाण्डेय, पत्नी श्री रवि शंकर पाण्डेय

निवासी: सा० माण्डा खास माण्डा मेजा प्रयागराज

व्यवसाय: गृहिणी Jyoti

न्यासी: 3

श्रीमती प्रतिमा तिवारी, पत्नी श्री मनोज कुमार तिवारी

निवासी: सा० करियाडीह पड़रा अनुमान नकारा मिर्जापुर

व्यवसाय: गृहिणी Pratima.

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

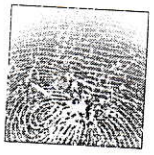

श्री विनय कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री कमला प्रसाद पाण्डेय

निवासी: सा० तिरोनतुलापुर माण्डा मेजा प्रयागराज

व्यवसाय: कृषि Vinay Pandey

पहचानकर्ता: 2

श्री नवनीत कुमार त्रिपाठी ...

निवासी: सा० तिरोनतुलापुर माण्डा मेजा प्रयागराज

व्यवसाय: कृषि नवनीत

उप रजिस्ट्रार, मेजा, प्रयागराज सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल कुमार श्रीवास्तव (प्र0)

उप निबंधक : मेजा

प्रयागराज

ज्ञान चन्द्र द्विवेदी

निबंधन लिपिक

प्रिंट करें

6. उक्त ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी के रूप में संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी के पुत्र एवं पुत्री या लीगल वारिस वरिष्ठता के आधार पर स्वतः ही संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी के पद पर पदासीन हो जायेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी ट्रस्टीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. उक्त ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी के उत्तराधिकारी के रूप में संस्थापक ट्रस्टी के पुत्र एवं पुत्री या लीगल वारिस वरिष्ठता के आधार पर स्वतः ही संस्थापक ट्रस्टी के पद पर पदासीन हो जायेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी ट्रस्टीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. वर्तमान संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों में से किसी को भी अपने शेष कार्यकाल तक के लिए अन्तरित कर सकते है अथवा इस प्रकार अन्तरित किये गये उत्तरदायित्व को वापस ले सकते है।

9. वर्तमान संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी आदित्य प्रकाश अपने जीवन पर्यन्त उपरोक्त राष्ट्र निर्माण एजूकेशनल ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी रहेंगे तथा न्यास के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली प्रत्येक संस्थाओं आदि का प्रबन्धक/सचिव भी कहे जायेंगे या जिस किसी भी व्यक्ति को अन्य संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति से नामित करेंगे उसे मुख्य ट्रस्टी के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

10. न्यास के संचालन और व्यवस्था के लिए न्यास के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं अन्य संस्थापक ट्रस्टियों को मिलाकर एक ट्रस्टी मण्डल का गठन किया जायेगा जिसे आजीवन ट्रस्टी मण्डल कहा जायेगा। भविष्य में भी ट्रस्टी मण्डल की सहमति से मुख्य ट्रस्टी को नये ट्रस्टियों/रिक्त ट्रस्टियों के पदों पर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में रूचि रखने वाले समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों या संस्था को भी ट्रस्टी मण्डल के न्यासी के रूप में नामित किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

आजीवन ट्रस्टी मण्डल के न्यासियों का विवरण

Aditya Prakash Jyoti Poonima.

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पदनाम
1.	आदित्य प्रकाश	पुत्र श्री जे0एन0 शुक्ल	177 खरगपुर, महजना, हण्डिया, प्रयागराज	समाजसेवा	संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी
2.	श्रीमती ज्योति पाण्डेय	पत्नी श्री रवि शंकर पाण्डेय	माण्डा खास, मेजा, प्रयागराज	समाजसेवा	संस्थापक ट्रस्टी
3.	प्रतिमा तिवारी	पत्नी श्री मनोज कुमार तिवारी	करियाडीह पड़रा, हनुमान नकारा मिर्जापुर	समाजसेवा	संस्थापक ट्रस्टी

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति से ट्रस्ट डीड/नियमावली में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा। न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्य–

समाज में शिक्षा के विकास हेतु सृजित राष्ट्र निर्माण एजुकेशनल ट्रस्ट/न्यास द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

1. ट्रस्ट का नाम– **राष्ट्र निर्माण एजुकेशनल ट्रस्ट**

2. ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय– **ग्राम व पोस्ट माण्डा खास, मेजा, प्रयागराज उ0प्र0 पिन–212104**

3. **ट्रस्ट/न्यास का उद्देश्य–**

(1) बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।

(2) सामान्य शिक्षा के साथ–साथ बालक एवं बालिकाओं के लिए व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।

(3) प्राथमिक पाठशालाओं, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, कम्प्यूटर केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, नामकरण, विकास सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि करना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, स्तरों, शासन आदि से इन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत अनुमोदित, स्वीकृत करवाने की व्यवस्था करना।

(4) रोजगार परक एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा प्रयोजित समस्त विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन

Aditya Prakash Jyoti Pratima.

करना तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना एव संचालन एवं प्रबन्धन करना।

(5) समाज के समस्त वर्गों के शैक्षिक विकास हेतु सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0सी0, इग्नू, मुक्त विश्वविद्यालय/पत्राचार संस्थान तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के साथ ही साथ अन्य राज्यों के बोर्ड के निर्देशों के अनुसार उक्त पैटर्न पर प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, इण्टर, स्नातक, परास्नातक, विधि तथा अध्यापक प्रशिक्षण आदि हेतु विद्यालयोंध्कालेजों का संचालन एवं प्रबंधन करना। आधुनिक शैक्षिक प्रणाली के विकास हेतु अनुसंधान करना।

(6) शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास, विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना एवं विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम, मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।

(7) सामाजिक न्याय के विकास एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्ण रखने हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, आयुर्वेद कालेजों, पैरा मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों/महाविद्यालयों, बी0एड0/बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 कालेज, इन्जीनियरिंग कालेजों, डिप्लोमा कालेजों दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार संस्थान, आई0टी0आई0, पुस्तकालयों, फार्मेसी, प्रबन्ध संस्थानों आदि जैसे शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा इनकी शाखओं की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन आदि करना।

(8) व्यक्ति विशेष, किसी सोसाइटी अथवा किसी अन्य ट्रस्ट द्वारा संचालित, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, आई0टी0आई0, मेडिकल कालेजों, पैरामेडिकल संस्थानों/कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों/कालेजों आदि को अपने इस ट्रस्ट में समाहित कर संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे अन्य संस्थानों को प्राप्त करना एवं समायोजित कर सकना।

(9) विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/विधि महाविद्यालयों/इन्जीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना एवं अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

Aditya Bakshi Jyoti Pratima.

(10) ट्रस्ट के कोष या सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयोग करना। ट्रस्ट किसी भी सरकारी बैंक, अर्द्धसरकारी बैंक, गैर सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थान, निजी व्यक्तियों द्वारा, सम्बन्धियों द्वारा मित्रों द्वारा, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण/वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त कर सकता है और यदि उक्त प्राप्ति में किसी प्रकार की चल या अचल सम्पत्ति बंधक रखने की आवश्यकता पड़े तो संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति से संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी बंधक/गिरवी रख सकता है।

(11) ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

(12) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से सहयोग प्राप्त करना, आर्थिक सहयोग प्राप्त करना तथा प्रदान कर सकना। जन प्रतिनिधियों से दान, चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना।

(13) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों एवं विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रबन्ध संस्थानों आदि की स्थापना, सम्बद्धता प्राप्त करना एवं संचालन करना।

(14) पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।

(15) ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना और उसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

(16) कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को इस ट्रस्ट/न्यास में समाहित करने के इच्छुक हो तो उस संस्थान की समिति या ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उसके न्यासियों एवं मण्डल सदस्यों/बोर्ड के सचिव/प्रबन्धक की अनुमति से ही संस्था/ट्रस्ट/समिति को इस ट्रस्ट/न्यास में समाहित किया जा सकेगा और समाहित होने की तिथि से वह समिति/संस्था/ट्रस्ट इस न्यास की संस्था/सम्पत्ति मानी जायेगी।

Aditya Bakosh Jyoti Pratima

(17) कृषि की उच्च शिक्षा (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) का संचालन करना।

(18) उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक चारित्रिक, सामाजिक धार्मिक, नैतिक उत्थान की ओर अग्रसर करना।

(19) निर्धन तथा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर अथवा अन्य प्रकार से सहायता देकर शिक्षा की ओर अग्रसर करना।

(20) शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक जीवन की जगृति लाकर समाज के लिए उपयुक्त नागरिक बनाना।

(21) पौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रबन्ध शिक्षा आदि को निःशुल्क व्यवस्था शासन एवं विभाग को अनुमति के पश्चात् करना।

(22) ट्रस्ट के उद्देश्यों व संचालन हेतु समयानुसार अन्य कार्यों को संचालित करना व करवाना।

(23) सड़कों पर काम करने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रेन एवं बालश्रम को समाप्त करने तथा बालक, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण / शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

(24) लडकों व लडकियों के लिए अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

(25) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन करना. लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हॉस्टल / छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(26) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि क्रय व विक्रय करना तथा लीज पर लेना एवं ट्रस्ट क्रय शुदा भूमि लीज पर ली गयी भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(27) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिए दान लेना व दान की रसीद देना।

Aditya Prakash Jyoti Pratima.

(28) ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशाप आयोजित करना।

(29) गरीब/निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना व व्यवस्था करना।

(30) अन्य समितियों/ट्रस्ट द्वारा हस्तान्तरित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक शिक्षण व अन्य संस्थाओं को नियमानुसार ग्रहण करना एवं संचालन करना व करवाना तथा उनकी सम्पत्तियों आदि को "राष्ट्र निर्माण एजूकेशनल ट्रस्ट" के नाम हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही करना व करवाना।

(31) शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए समारोह, व्याख्यान, वाद–विवाद तथा चर्चा, सेमिनार का आयोजन करने के लिए इंजीनियरों. डाक्टरों के अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन (International Alliance of Engineers, Doctors and Reserchers) का निर्माण करना तथा इसे देश व विदेशों में संचालित करना व करवाना।

(32) शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए साहित्य, शोधपत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन, कार्यवाही किताब और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन तथा इसे देश व विदेशों में वितरण करना तथा क्रय–विक्रय करना व करवाना।

(33) ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान, ऋण, छूट, सहायता, अनुदान आदि धन या वस्तु के रूप में प्राप्त करना।

(34) महिला, युवा, बाल एवं कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुख शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।

(35) विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु शोध, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार एवं सम्मेलन का आयोजन एवं प्रचार सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना।

(36) न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना एवं प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाइयाँ गठित करना एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना।

Aditya Prakash Jyoti Padma.

4— संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण

A. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं अन्य संस्थापक ट्रस्टी का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में ही अपने विधिक उत्तराधिकारी को अपने पद पर स्थापित/नामित कर दें।

B. किसी भी व्यक्ति के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त जो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड में संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी या संस्थापक ट्रस्टी को प्रदान किये गये है।

C. सस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं इसकी व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु अथवा कोई आकस्मिकता की स्थिति में संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी का पद उसके माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री वरिष्ठता के आधार पर पारिवारिक सदस्य को स्वतः यह पद धारण करने हेतु अधिकृत माना जायेगा। इसमें किसी भी ट्रस्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

D. सस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी की संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति की घोषणा/व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट है कि कार्यरत संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

E. कार्यरत संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी अपने जीवनकाल में ही अपना कार्यभार अपने विधिक उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर सकता है, जिस पर पुनर्विचार का अधिकार उस संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित रहेगा।

F. कार्यरत संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

Aditya Prakash Jyoti Patima.

5– **न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था**

(1) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था न्यास मण्डल द्वारा सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न इकाईयों की सुचारू प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन किया जायेगा। इस प्रकार गठित होने वाली प्रत्येक समिति/उपसमिति/प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि के लिए ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को प्रबन्धक/सचिव के पदनाम से जाना जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित समिति/संस्था में प्रबन्धक/सचिव के पद पर चुनाव नहीं होगा। इसके लिए पहले तो ट्रस्ट का संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही इस पद पर पदासीन रहेगा या आजीवन ट्रस्टी मण्डल की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को प्रबन्धक/सचिव के पद पर नामित किया जायेगा। प्रबन्ध समिति के अन्य पदों पर चुनाव ट्रस्ट की साधारण सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जायेगा। प्रबन्ध समिति में किसी भी विवाद की स्थिति में इस न्यास के अन्तर्गत गठित होने वाली प्रत्येक समिति/उपसमिति/प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि के समस्त कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकार संस्थापक ट्रस्टी मण्डल में निहित होंगे। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के चुनाव में भाग नहीं लेगा, वह ट्रस्ट के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, परन्तु निर्णायक मत संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का ही माना जायेगा।

(2) 'यह कि संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु गवर्निंग वाडी/बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी का गठन कर सकता है. जिसमें कि अधिकतम 5 (पाँच) सदस्य होंगे। इस बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी का प्रबन्धक/सचिव स्वयं संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी अथवा उसके द्वारा नामित कोई अन्य ट्रस्टी होगा।

(3) संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड आफ मैनेजिंग कमेटी का सदस्य मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड आफ ट्रस्टीज/मैनेजिंग कमेटी की कार्य अवधि संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की इच्छा पर

Aditya Bakaya Jyoti Padma.

निर्भर करता है तथा संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

(4) संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी जब उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/मैनेजिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी अध्यक्षता करेगा या इसके लिए किसी अन्य ट्रस्टी को प्रबन्धक/सचिव अध्यक्षता करने हेतु नामित भी कर सकेगा।

(5) बोर्ड आफ मैनेजिग कमेटी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनकों कि संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा अथवा लिखित रूप से अधिकृत किया जायेगा।

(6) बोर्ड आफ मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में आजीवन ट्रस्टी मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(7) संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह इसके अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी. ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा–निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के निर्णयाधीन होगा। इसी प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाले, किसी भी कार्यक्रम/संस्था में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति, निलम्बन एवं सेवा समाप्ति का अधिकार भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

Aditya Prakash Jyoti Pratima.

(9) न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रमों एवं संस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमानुसार यथावांछित समितियों, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण तत्सम्बन्धी नियामक संस्था, शासन, प्राधिकरण के अधिनियम, परिनियम एवं नियमावली के अनुसार अलग–अलग नियमावली बनाकर तथा उपनियमों का निर्माण करके किया जायेगा जिसका अनुमोदन सम्बन्धित नियामक संस्था, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जायेगा। न्यास मण्डल का विधिवत गठन हो जाने के उपरान्त उक्त समितियों, उप समितियों, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन के अधिनियमों के अन्तर्गत न्यासमण्डल के निर्णयों से प्रभावी माना जायेगा तथा उसे उक्त कार्यक्रम/संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जायेगा। न्यासमण्डल को किसी भी संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

6– संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं इस ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं से युक्त निवास, कार्यालय, कार्यालयी कर्मचारी, वाहन, ड्राइवर, ईधन, भोजन, रसोइया, देश, विदेश, भ्रमण, रहन–सहन वस्त्रादि, संचार, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में संस्थापक ट्रस्टी मण्डल का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा। इसका समस्त व्ययभार ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा।

7– **<u>संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य</u>**

इस डीड के अन्तर्गत संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे–

A. गवर्निंग वाडी/बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

Aditya Prakash Jyoti Pratima.

B. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व पूर्ण रूपेण ढंग से देख–रेख करने के लिए आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना तथा उनकों दिये जा रहे अधिकार एवं कर्तव्यों के लिए नियम बनाना।

C इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उददेश्यों एवं नियमावली एवं ट्रस्ट का नाम व ट्रस्ट द्वारा संचालित समिति व संस्थाओं में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन/परिवर्तन कर सकना, जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

8. न्यास का कोष एवं वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था–

न्यास की स्थापना के उपरान्त मूल रूप से उपलब्ध कराये गये रूपये 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त धन, कोष दान अनुदान तथा सम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगीः–

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क, लाभार्थियों द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क, दान, अनुदान, वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण, चन्दा तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोष माना जायेगा।

2. न्यास में वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ायी जा सकेगी। न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए खाता/खाते को किसी भी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक/डाकघर में ही खोला जायेगा। इस प्रकार खोले जाने वाले खातों का संचालन करने का एक मात्र अधिकार संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति से संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा। बैंक व वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से ऋण, अनुदान आदि के सम्बन्ध में चल–अचल सम्पत्ति बंधक व गिरवी रखने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति से संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा तथा इसके सम्बन्ध में की गई औपचारिकता संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से ही की जायेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये गये चन्दे/दान

Aditya Prakash Jyoti Padma.

की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाली चल–अचल सम्पत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी अथवा बंधक रखने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को होगा। दान देने वाले व्यक्ति व उसके उत्तराधिकारियों एवं वंशजों को इस प्रकार न्यास को दान दी हुयी सम्पत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा तथा उसका स्वामित्त न्यास में निहित रहेगा।

4. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय /संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई के प्रबन्धक/सचिव के रूप में बैंक खाता खोला व संचालित किया जायेगा। प्रबन्धक/सचिव को नामित करने का अधिकार आजीवन ट्रस्टी मण्डल को ही प्राप्त होगा।

5. न्यास के आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा जिसे प्रतिवर्ष चार्टेड–एकाउण्टेड से आडिट करायेगा। इसके लिए वह ट्रस्टी मण्डल में से किसी भी सदस्य को नामित करते हुए उक्त कार्य हेतु अधिकृत कर सकता है।

6. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों को पूर्ण रूप से अथवा सीमित रूप से किसी ट्रस्टी को हस्तान्तरित करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इस निमित्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यक्रमा/संस्थाओं/प्रबन्ध समितियों के नाम से विभिन्न बैंको में खाते इत्यादि खोलने एवं बन्द करने का अधिकार संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

9– **विधिक कार्यवाही** –

I. ट्रस्ट का कोई विवाद किसी न्यायालय में पोषणीय नहीं होगा। न्यास सम्पत्ति व न्यास के संचालन व प्रबन्धन के बाबत न्यासियों के किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में किसी न्यायालय के वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा यदि कोई विवाद न्यास व उसके संचालन प्रबन्धन के बाबत

Aditya Bakash Jyoti Pratima.

उत्पन्न होता है तो आरबिट्रेटर द्वारा निर्णीत किया जायेगा। आरबिट्रेटर की नियुक्ति अथवा नामकरण संस्थापक ट्रस्टी मण्डल द्वारा किया जायेगा।

II. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसे भी इस न्यास के अन्तर्गत निर्धारित नियम एवं शर्ते लागू होंगी।

III. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।।

IV. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख–विलेख बनाने हेतु प्रबन्धक/सचिव किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

V. ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है जिसके लिये संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति आवश्यक होगी।

VI. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी चल/अचल सम्पत्ति क्रय/विक्रय कर सकता है, गिरवी रख सकता है, किराये पर ले सकता है या दे सकता जिसके लिये संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति आवश्यक होगी।

VII. ट्रस्ट का संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को किसी से ऋण दान, उपहार, आग्रह भेंट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है जिसके लिये संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति आवश्यक होगी।

VIII. ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजत कर सकता है जिसके लिये संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति आवश्यक होगी।

IX. ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी को चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Gaurantee) भाड़ा किराया (Rent) अनुज्ञपित (Licence). बन्धक (Mortage),

Aditya Prakash Jyoti Prathima.

भारित गिरवी (Charge), गिरवी (predec), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है, ले सकता है/दे सकता है। जिसके लिए संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति आवश्यक होगी।

X. न्यास के अन्तर्गत संचालित हाने वाली किसी भी संस्था अथवा उसकी प्रबन्ध समिति के किन्हीं कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति मानी जायेगी तथा न्यास के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी तथा संस्थापक ट्रस्टियों का उस पर पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबन्ध समिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उस संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

XI. न्यास द्वारा संचालित होने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के नाम रखना, नाम में बदलाव करना, संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी कर सकता है।

10– विशेष –

(1) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम इत्यादि बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट "राष्ट्र निर्माण एजुकेशनल ट्रस्ट" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा बनायी गयी समिति/उपसमिति को स्वेच्छानुसार भंग करके उनका अधिकार अपने में निहित किया जा सकेगा अथवा विवेकानुसार समिति/उपसमिति का गठन किया जा सकेगा।

(2) संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं, इस सम्बन्ध में आजीवन ट्रस्टी मण्डल का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के

Aditya Prakash Jyoti Pardeep.

अन्तर्गत संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गई किसी कार्यवाही को कभी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं।

(3) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/व्यक्तिगत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/मेडिकल कालेज/विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/इन्जीनियरिंग कालेज/आई0टी0आई0/पुस्तकालय/फार्मेसी/फिजियोथेरेपी आदि संस्थानों कार्यक्रमों/इकाई / कार्यालय/संस्था/ उपक्रम के कार्य संचालन के लिए पृथक से नियम उपनियम बनाया जायेगा व तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालय/बोर्ड/सरकारी/अर्द्धसरकारी व मानयता प्रदान करने वाली संस्था / विभाग इत्यादि की आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा जिसमें संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति ही सदस्य व पदाधिकारी होंगे। नामित व्यक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अथवा बाहर के सदस्य भी हो सकते हैं। समिति/उपसमिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी करेंगे। इस निमित्त उन्हें विश्वविद्यालय/बोर्ड/विभाग के नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उपसमिति का मैनेजिंग डाइरेक्टर समझा जायेगा। इस प्रकार संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी समिति/उपसमिति का सदस्य आजीवन पदेन होगा और समिति/उपसमिति खातों का संचालन इस ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उपसमिति का संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी बनकर किया जायेगा और आर्थिक प्रकरणों पर सहमति/अनुमति एवं अनुमोदन ट्रस्ट के संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा जिस किसी भी व्यक्ति को यह कार्य दिया जायेगा वह उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित समिति संस्थाओं की कमेटी द्वारा प्रबन्धक/सचिव पद पर चुनाव नहीं होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्थाओं का प्रबन्धक/सचिव संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी होगा।

11. **न्यास के अभिलेख –**

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने व रख–रखाव का दायित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा। संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी के पास मुख्य रूप से सूचना रजिस्टर,

Aditya Prakash Jyoti Purnima.

कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, दान व चन्दा रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

12– **न्यास द्वारा स्थापित/संचालित एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमावली (प्रशासन योजना) निम्नलिखित रूप में होगी–**

नियमावली

1. **कार्यक्षेत्र**– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

2. **संस्था के उद्देश्य**– न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार।

3. **संस्था की सदस्यता**– न्यास मण्डल के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी व संस्थापक ट्रस्टी साधारण सभा के आजीवन सदस्य माने जायेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट की विचारधारा में आस्था रख के कार्य करने वाले सामाजिक व्यक्तियों को ट्रस्ट की साधारण सभा की सदस्यता प्रदान की जायेगी। इसके लिए ट्रस्ट को रू0 11,000/– सदस्यता शुल्क के साथ आवेदन प्रेषित करने वाले व्यक्ति को साधारण सभा का सदस्य बनाया जा सकता है। आवेदन करने वाले व्यक्तियों को साधारण सभा में सम्मिलित करने का अन्तिम निर्णय संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा। सदस्यता ग्रहण करने का समय प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा। जिसके मध्य निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करने वाले व्यक्ति ट्रस्ट के साधारण सभा के सदस्य हो सकते हैं। साधारण सभा की सदस्यता पांच वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी।

5. **सदस्यता की समाप्ति**– किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारणों से स्वतः समाप्त हो जायेगी–

   (अ) संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी सदस्य को बिना कारण बताये उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामाजिक/योग्य व्यक्ति को सदस्य बना सकता है।

   (ब) पागल व दिवालिया हो जाने पर।

   (स) किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

Aditya Parkash Jyoti Padma.

(द) संस्था के नियमों का पालन न करने पर।

(य) संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर।

(र) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

(ल) त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर या सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

(व) अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर।

(श) ट्रस्टी मण्डल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही पर

6. **संस्था के अंग–** संस्था के निम्नलिखित दो अंग होंगे–

1. साधारण सभा 2. प्रबन्ध समिति

(अ) न्यास के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी व न्यासी संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगे। संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी व्यक्ति को साधारण सभा का सदस्य/ट्रस्टी नियुक्त/नामित किया जा सकता है।

(ब) बैठके–

साधारण सभा की सामान्य बैठक 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व व विशेष बैठक 03 (तीन) दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

(स) गणपूर्ति–

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 50% एवं एक (1) अतिरिक्त सदस्य/ट्रस्टी की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित सभा की आहूत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा एवं समयावधि का भी प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।

(द) विशेष वार्षिक अधिवेशन–

साधारण सभा के विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार यथासम्भव दिसम्बर माह में किया जायेगा जिसकी तिथि प्रबन्धक/सचिव द्वारा निश्चित की जायेगी।

Aditya Prakash, Jyoti Padma.

(य) साधारण सभा के कार्य–

(1) प्रबन्ध समिति में ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्धक/सचिव के पद को छोड़कर शेष अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करना।

(2) वार्षिक आय व्यय पारित करना।

(3) संस्था की उन्नति के लिए नीति निर्धारित करना एवं अपनी राय देना।

(4) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना।

(5) संस्था को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक अधिकार होंगे. परन्तु साधारण सभा का कोई भी सदस्य इस पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है किन्तु संस्थापक ट्रस्टी मण्डल का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

(6) संस्था के हित में संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन का बहुमत से प्रस्ताव पारित करना, लेकिन नियमों/विनियमों में संशोधन सिर्फ संस्थापक ट्रस्टी मण्डल या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमोदन के उपरान्त ही मान्य होगा।

8. प्रबन्ध समिति–

(क) गठन

1– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान एवं अन्य संस्थानों की प्रबन्ध समिति में कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या पाँच होगी जिसमें निम्नलिखित पद होंगे–अध्यक्ष–1, प्रबन्धक/सचिव–1, कोषाध्यक्ष–1 एवं 2 सदस्य होंगे। प्रबन्धक/सचिव का चयन चुनाव कार्यवाही में नहीं होगा। ट्रस्ट का संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही प्रबन्धक/सचिव होगा या उसके द्वारा नामित व्यक्ति ही प्रबन्धक/सचिव के पद पर पदासीन रहेगा। इसके अतिरिक्त सभी पदों के लिए साधारण सभा के सदरयों से ही चयन किया जायेगा।

2– प्रबन्ध समिति में न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं कार्यालय कर्मचारी को मिलाकर न्यूनतम 03 पदेन सदस्य न्यास

Aditya Prakash Jyoti Pashima.

के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर नामित किए जा सकेंगे।

3– प्रबन्ध समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 05 वर्ष या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा घटायी या बढ़ायी जा सकती है, परन्तु अगली प्रबन्ध समिति के गठन होने तक पिछली प्रबन्ध समिति ही मान्य रहेगी।

4– ट्रस्ट की ट्रस्टी मण्डल द्वारा प्रबन्ध समिति समाप्त होने के तीन माह पूर्व ही आगामी चुनाव की कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

5– प्रबन्ध समिति संस्थाओं का नाम परिवर्तित कर सकता है किन्तु संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

(ख) बैठक– प्रबन्ध समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार होगी किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति इनके अतिरिक्त भी बैठके कर सकता है।

(ग) सूचना अवधि–

प्रबन्ध समिति सामान्य बैठक की सचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम 07 दिन पूर्व व आकस्मिक बैठक 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को सूचना रजिस्टर्ड डाक/दूरभाष द्वारा/ईमेल द्वारा दिया जा सकता हैं दूरभाष से सूचना देने की स्थिति में बैठक के दिन कार्यवाही रजिस्टर के साथ–साथ सूचना रजिस्टर पर उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है।

(घ) गणपूर्ति–

प्रबन्ध समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित कर दिया जायेगा। स्थगित बैठक को पुनः बुलाने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(च) रिक्त स्थानों की पूर्ति–

प्रबन्ध समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर न्यास मण्डल (साधारण सभा) के सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए व्यवस्था की जायेगी।

Aditya Prakash Jyoti Pathma.

9. **प्रबन्ध समिति के कार्य–**

(क) संस्था/विद्यालय की प्रबन्धकीय व्यवस्था बनाना।

(ख) संस्था/शिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।

(ग) संस्था/शिक्षण संस्थान का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(घ) समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित सभी मंत्रालय, आयोग एवं विभागों, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति, वित्त निगम उत्तर प्रदेश. केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछडा वर्ग कल्याण निदेशालय, श्रम मन्त्रालय, वित्त पोषक संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं से दान, अनुदान व आर्थिक सहायता, ऋण धन के रूप में धन प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं शैक्षिक कार्यो में खर्च करना। आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति को बंधक/रेहन रखना/ऋण लेना।

10. **प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य**

(अ) अध्यक्ष –

(1) समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

(2) बैठकों की सूचना लिखित अथवा दूरभाष द्वारा साधारण सभा/प्रबन्ध समिति के सदस्यों को देना।

(ब) प्रबन्धक/सचिव–

1. संस्था/शिक्षण संस्थान का कार्य पालक होगा।
2. बैठकों के लिए तिथियों का निर्धारण करना एवं अध्यक्ष महोदय को बैठक करने हेतु सदस्यों को सूचित करने का आदेश देना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
5. सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्यों के बनने की अनुमति प्रदान करना।

Aditya Prakash   Jyoti   Pratima..

6. वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, निष्कासन एवं बहाली करना।

7. संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित बिल व वाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।

8. अध्यापकों की नियुक्ति, वेतन, शिक्षा सामग्री आदि की व्यवस्था।

9. पाठशाला तथा छात्रावास भवन के निर्माण की योजना।

10. संस्था के खाते का संचालन करना।

11. तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

12. संस्था/शिक्षण संस्थान की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना। संस्था की किसी भी चल व अचल सम्पत्ति को क्रय या विक्रय करके संस्था के हित में कार्य करना व खाते द्वारा संचालन करना।

13. प्रबन्ध समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

14. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

15. सस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से अदालती कार्यवाही करना या किसी को नियुक्त करना।

16. संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल–अचल सम्पति की रक्षा करना एवं उस पर नियन्त्रण रखना।

17. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त योजनाओं को चलाने का अधिकार व नियंत्रण होगा।

18. राजकीय सहायता, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

19. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से केन्द्रीय/राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना।

20. संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर और उसका कार्यक्रम विवरण उपस्थित करना।

21. संस्था/शिक्षण संस्थान में संचालित कार्यक्रम का समय–समय पर निरीक्षण करना और उसका कार्यक्रम विवरण उपस्थित करना।

22. संस्था/शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के कार्यों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार दूसरे सदस्यों को वितरित करना।

23. संस्था के खाते का संचालन करना व नियुक्ति करना आदि।

Aditya Prakash Jyoti Patima.

24. सदस्यों के चन्दा व अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीद देना तथा प्राप्त धन को किसी निकटस्थ बैंक में सम्बन्धित संस्था के खाते में जमा करना।

25. संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रतिवर्ष का ऑडिट कराकर निरीक्षण हेतु प्रबन्धक/सचिव/मैनेजिंग डाइरेक्टर को प्रस्तुत करना।

26. समिति के आय और व्यय की जांच करना।

27. संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित विभिन्न पत्रजात व पत्रावलियों को प्राप्त करना व निस्तारण हेतु संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित विभाग को निर्गत करना।

28. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट की और भी शाखा कार्यालय भारत वर्ष तथा विदेशों में भी किसी भी स्थान पर खोलने व बन्द करने एवं स्थान परिवर्तित करने का विधिक अधिकार होगा।

(स) कोषाध्यक्ष–

प्रत्येक संस्था का एक कोष होगा जिसका संचालन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाक खाने में खाता खोलकर प्रबन्धक/सचिव द्वारा संचालित किया जायेगा। प्रबन्धक/सचिव की सहायता के लिए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी। कोषाध्यक्ष द्वारा :संस्था/महाविद्यालय के कोष का रख–रखाव करना। प्रबन्धक/सचिव की सहायता करना। सचिव/प्रबन्धक के आदेशानुसार सदस्यता शुल्क बैंक खाते में जमा करना। कैशबक/रजिस्टर आदि का रख–रखाव करना।

(द) सदस्य–

1. प्रबन्ध समिति की बैठक में भाग लेना एवं संस्था/महाविद्यालय की उन्नति का कार्य करना।
2. एजेण्डे के अनुसार बैठक में अपनी राय देना।
3. प्रबन्धक/सचिव द्वारा दिये गये कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

11. संस्था/शिक्षण सस्थान के कोष

संस्था/शिक्षण संस्थान के समस्त सम्बन्धित कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में सस्था/शिक्षण संस्थान के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन प्रत्येक संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा संचालन किया जायेगा। जिसका अनुमोदन संस्थापक ट्रस्टी मण्डल द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Aditya Prakash Jyoti Padma.

12. संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्ध समिति के किन्हीं कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल–अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी।

13. संस्था/शिक्षण संस्थान पर किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय संस्थापक/ट्रस्टी का ही मान्य होगा। इस पर किसी भी प्रकार के न्यायालय का हस्तक्षेप शून्य माना जायेगा।

हम सभी राष्ट्र निर्माण एजुकेशनल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली बदुरूत अपने होश हवास बिना किसी जोर व दबाव के अपने खुशी व रजामन्दी से गठन व स्थापना के बावत यह न्यास विलेख अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत एवं हस्ताक्षरित कर तत्काल कार्यान्वित एवं रजिस्टर्ड करते हैं ताकि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

Vinay Pandey

गवाह संख्या– 01
विनय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री कमला प्रसाद पाण्डेय
ग्राम पोस्ट तिसेनतुलापुर,
माण्डा प्रयागराज।
आधार नम्बर– 8226 5194 1294

नवनीत

गवाह संख्या– 02
नवनीत कुमार द्विवेदी पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी
ग्राम व पोस्ट तिसेनतुलापुर,
माण्डा, प्रयागराज।
आधार नम्बर– 9457 7515 6569

Aditya Prakash
1. (आदित्य प्रकाश)
संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी

Jyoti
2. (ज्योति पाण्डेय)
संस्थापक ट्रस्टी

Pratima.
3. (प्रतिमा तिवारी)
संस्थापक ट्रस्टी

मसविदाकर्ता : अशोक कुमार मिश्रा, एडवोकेट
COP No. 166049

टाइपकर्ता : श्रीधर शुक्ल
श्रीधर शुक्ल,
मनमोहन पार्क, कटरा, प्रयागराज

दिनांक : 08/09/2021

आवेदन सं०: 202100894004532

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 14 के पृष्ठ 295 से 346 तक क्रमांक 30 पर दिनाँक 08/09/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल कुमार श्रीवास्तव (प्र0)
उप निबंधक : मेजा
प्रयागराज
08/09/2021

प्रिंट करें